कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री नगेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिदरत, बाप जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि बखासर जिला बाडमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री नगेन्द्र सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर मे दायर अपील संख्या 05/2021 में अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 12.01.2021 प्राप्त कर लिया गया।

माननीय अधिकरण के उक्त स्थगनादेश के फलस्वरूप श्री नगेन्द्र सिंह को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिदरत, बाप जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय अधिकरण द्वारा अपील में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन पूर्ववत पदस्थापित रखा गया था।

माननीय अधिकरण द्वारा अपील में पारित अन्तिम आदेश दिनांक 18.01.2022 द्वारा पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 12.01.2021 को कन्फर्म करते हुए विभाग को प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में नवीन आदेश प्रसारित करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। अतः माननीय अधिकरण के उक्त आदेश के अनुसरण में श्री नगेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि खिदरत, बाप जिला जोधपुर को प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं जनहित में राउमावि बखासर, सेडवा जिला बाड़मेर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इन्हें योगकाल एवं यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होगा।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/नगेन्द्र सिंह/05/2021 **दिनांकः** 03/03/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर/बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर/बाडमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य श्री नगेन्द्र सिंह को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते